वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति से भिन्न संपत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के पृथक किये गये हिस्से या हिस्सों के बाजार मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-101]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of partition of property other than ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 3 percent on the market value of the separated share or shares of the property.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-101]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government